*वित्तीय समावेशन**

दीपाली पंत जोशी

परिचय

1. श्री संपत कुमार, सुश्री प्रीता मिश्रा और देवियो और सज्जनो। मैं आज की प्रातःबेला में आपके साथ पाँचवें डन एंड ब्रैडस्ट्रीट फाइनैंशियल इन्क्लूजन कॉन्क्लेव के उद्घाटन सत्र में उपस्थित होने पर आह्लादित हूँ। मैं डन एंड ब्रैडस्ट्रीट को कोलकाता की इस सुन्दर नगरी में यह कॉन्क्लेव आयोजित करने के लिए बधाई देती हूँ।

2. वित्तीय समावेशन कोई नया प्रबंध नहीं है। वर्ष 1969 में किया गया बैंक राष्ट्रीयकरण और उसके बाद शाखा-निर्माण के लिए दिया गया जबरदस्त धक्का वंचित लोगों को वित्तीय प्रणाली में शामिल किये जाने का प्रयास था। वाणिज्यिक बैंकों के भौगोलिक विस्तार और कार्यात्मक पहुँच के बावजूद बड़ी संख्या में लोग वंचित बने हुए हैं। लघु और सीमांत कृषक, महिलाएँ, असंगठित क्षेत्र के कामगार, कारीगर, स्वनियोजित व्यक्ति, बेरोजगार, पेंशनभोगी, आदि औपचारिक वित्तीय क्षेत्र द्वारा प्रदान किये गये अवसरों और सेवाओं से वंचित बने हुए हैं।

3. यदि यही ऐसा कुछ है, जिसके लिए वर्ष 1969 से हम कार्य करते रहे हैं, तो अब क्या अंतर हुआ है? महत्वपूर्ण रूप से यह प्रौद्योगिकी है, जो पहुँच विस्तार के सपने को साकार करती है। वित्तीय समावेशन के सफल होने के लिए और एक कारगर व्यवसाय एवं सुपुर्दगी मॉडल स्थापित किये जाने के लिए यह आवश्यक है कि धन की चुकौती की लागत कम की जाये और बड़ी संख्या में लोगों को इसमें शामिल किया जाये। इस प्रकार की तीव्र वृद्धि प्रौद्योगिकी के उपयोग से संभव सपना बन सकती है।

4. आरआरबी सहित बैंक कोर बैंकिंग सिस्टम (सीबीएस) की ओर अग्रसर हुए हैं, उन्होंने स्व-निर्मित क्षमता को विकसित किया है, ताकि इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणालियों, यथा, तत्काल सकल भुगतान प्रणाली (आरटीजीएस), राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण (एनईएफटी), राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन सेवा (एनईसीएस), अविलंब भुगतान सेवा (आइएमपीएस), आधार समर्थित भुगतान प्रणाली (एइपीएस), आदि का उपयोग करते हुए धन-प्रेषण की व्यवस्था की जा सके। बैंक सुपुर्दगी की वैकल्पिक सरणियों का अधिकाधिक प्रयोग कर रहे हैं; एटीएम की संख्या तो शाखाओं की संख्या से भी अधिक है। सभी ग्रामीण शाखाओं से उम्मीद की जाती है कि निकट भविष्य में उनके पास ई-एटीएम हो।

5. उन लोगों के लिए, जो ऋण बाजार से बाहर हो जाते हैं, वित्त तक पहुँच इसी प्रकार का एक महत्वपूर्ण तत्व होता है। अतः, रिज़र्व बैंक ने वित्तीय पहुँच में सुधार करने के लिए अपने प्रयासों को प्रबलित किया है, विशेष रूप से छोटे व्यवसायों और अलग-अलग परिवारों के लिए। आरबीआई ने छोटे व्यवसायों और निम्न आय वाले परिवारों के लिए व्यापक वित्तीय सेवाओं के संबंध में डॉ.नचिकेत मोर, आरबीआई के केंद्रीय निदशेक मंडल में एक निदेशक, की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है। मोर समिति को अधिदेश दिया गया है कि वह भारत में वित्तीय समावेशन और वित्तीय व्यापन का एक स्पष्ट और विस्तृत विजन बनाये और डिजाइन सिद्धांतों का एक सेट अधिकथित करे, जो इन निष्कर्षों को सुनिश्चित करने के लिए संस्थागत ढाँचे का मार्गदर्शन करेगा।

6. आरबीआई द्वारा वित्तीय समावेशन को ''वित्तीय सेवाओं तक पहुँच सुनिश्चित करने और जहाँ असुरक्षित समूहों, यथा, कमजोर वर्गों एवं निम्न आय वाले समूहों द्वारा अपेक्षित हो, वहाँ मुख्य धारा वाली वित्तीय संस्थाओं से यथेष्ट लागत पर समय पर और पर्याप्त ऋण की उपलब्धता सुनिश्चित करने की प्रक्रिया'' के रूप में परिभाषित किया गया है।

7. जनवरी 2010 में रिज़र्व बैंक ने सभी सरकारी और निजी क्षेत्र के बैंकों को सूचित किया कि वे बोर्ड अनुमोदित तीन वर्षीय वित्तीय समावेशन योजना (एफआइपी) प्रस्तुत करें, जो अप्रैल 2010 से आरंभ होगी। उन्हें सूचित किया गया कि वे अपनी व्यावसायिक रणनीति और तुलनीय लाभ के समनुरूप एफआइपी विकसित करें और एफआइपी को अपनी कारपोरेट योजना का अभिन्न अंग बनायें। इन योजनाओं में शामिल हैं : खोली गयी ग्रामीण परंपरागत शाखाओं के लिए स्व-निर्धारित लक्ष्य; नियोजित किये गये बीसी; शाखाओं/बीसी/अन्य मोडों के माध्यम से बैंक रहित गाँवों को, जिनकी आबादी 2000 से अधिक और कम हो, शामिल करना; खोले गये सीमित सुविधा खाते, जिनमें बीसी-आइसीटी के माध्यम से खोले गये खाते शामिल हैं; जारी किये गये किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) और जनरल क्रेडिट कार्ड (जीसीसी); और अन्य उत्पाद, जिनकी डिजाइन वित्तीय रूप से

* वित्तीय समावेशन के संबंध में पाँचवें डन एंड ब्रैडस्ट्रीट कॉन्क्लेव, कोलकाता में डॉ.दीपाली पंत जोशी, कार्यपालक निदेशक, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा दिया गया भाषण। सुश्री सुषमा विज, श्री विपिन नायर और सुश्री मृगा परांजपे द्वारा दी गयी सहायता को कृतज्ञतापूर्वक स्वीकार किया जाता है

वंचित खंड के लिए बनायी गयी हो। बैंकों को सूचित किया गया कि वे बोर्ड अनुमोदित एफआइपी को अपनी व्यवसाय योजना से एकीकृत करें और वित्तीय समावेशन के संबंध में मानदंडों को अपने स्टाफ के कार्यसंपादन मूल्यांकन में एक पैरामीटर के रूप में शामिल करें।

8. हमने एफआइपी के माध्यम से वित्तीय समावेशन का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए एक योजनाबद्ध और सुनियोजित दृष्टिकोण अपनाया है, जो मापने योग्य और अनुश्रवणयोग्य निष्कर्ष के साथ स्व-निर्धारित लक्ष्यित हस्तक्षेप के रूप में है। इन योजनाओं के कार्यान्वयन पर रिज़र्व बैंक द्वारा मासिक आधार पर एक परिमाणात्मक रिपोर्टिंग फार्मैट के माध्यम से निकट निगरानी रखी जाती है। एफआइपी के गुणात्मक पहलुओं पर बैंकों द्वारा तिमाही आधार पर प्रस्तुत की गयी गुणात्मक रिपोर्ट के माध्यम से निगरानी रखी जाती है।

प्रगति पर आवधिक निगरानी रखना- परिमाणात्मक और गुणात्मक पैरामीटर। ये बोर्ड अनुमोदित योजनाएँ एक वार्षिक व्यापक समीक्षा के अधीन होती हैं। उप गवर्नर डॉ. चक्रवर्ती प्रमुख बैंकों के साथ आमने-सामने बैठक कर उनके द्वारा स्व-निर्धारित लक्ष्यों के संबंध में की गयी प्रगति पर, प्रगति की राह में आने वाले अवरोधों पर, उनके बैंकों द्वारा किये गये उपक्रमणों पर और भावी पथ के बारे में चर्चा करते हैं। आरआरबी, जिन्होंने वर्ष 2011 के अंत में सीबीएस में स्थानांतरण किया, उन्होने भी इसी तरह की व्यापक एफआइपी तैयार की है।

प्रगति :

9. बैंकों द्वारा 3-वर्षीय एफआइपी (अप्रैल 2010-मार्च 2013) के अंतर्गत प्रमुख पैरामीटरों के संबंध में की गयी प्रगति अब तक अपनी यात्रा के बारे में स्वयं बताती है :

i. गाँवों में बैंकिंग आउटलेटों की संख्या मार्च 2010 के 67,694 आउटलेटों से बढ़ कर लगभग 2,68,000 हो गयी है।

ii. इस 3-वर्षीय अवधि के दौरान लगभग 7,400 ग्रामीण शाखाएँ खोली गयीं, जबकि पिछले दो दशकों में 1,300 ग्रामीण शाखाएँ कम हुई थीं।

iii. लगभग 109 मिलियन मूलभूत बचत बैंक जमा खाते (बीएसबीडीए) जोड़े गये, जिससे बीएसबीडीए की कुल संख्या 182 मिलियन हो गयी। आइसीटी आधारित खातों की संख्या काफी बढ़ गयी है। कुल बीएसबीडीए की तुलना में आइसीटी खातों का प्रतिशत, जो मार्च 2010 में 25 प्रतिशत था, वह बढ़ कर मार्च 2013 में 45 प्रतिशत हो गया।

iv. इस अवधि के दौरान लगभग 9.48 मिलियन कृषि क्षेत्र परिवारों को जोडे जाने से 33.8 मिलियन परिवारों को मार्च 2013 के अंत तक लघु उद्यमकर्ता ऋण प्रदान किया गया।

v. इस अवधि के दौरान लगभग 2.24 मिलियन कृषीतर क्षेत्र परिवारों को जोड़े जाने से 3.6 मिलियन परिवारों को मार्च 2013 के अंत तक लघु उद्यमकर्ता ऋण प्रदान किया गया।

तीन वर्षीय अवधि के दौरान बीसी के माध्यम से आइसीटी आधारित खातों में लगभग 490 मिलियन लेन देन किये गये। आइसीटी आधारित बीसी आउटलेटों से किये गये लेन देनों की संख्या हालाँकि बढ़ रही है, फिर भी वह बहुत कम है, यदि बैंकिंग आउटलेटों की संख्या और खातों की संख्या में बहुविध बढ़ोतरी को देखा जाये। अब इन खातों के उपयोग का अनुश्रवण करने पर, जिसका अनुश्रवण बीएसबीडीए में किये गये लेन देनों की संख्या और मूल्य के माध्यम से किया जाना है, और आइसीटी आधारित बीसी आउटलेटों के माध्यम से वितरित ऋणों पर अधिक ध्यान दिया जा रहा है।

वित्तीय समावेशन योजना 2013-16

10. वर्ष 2010-2013 की अवधि के लिए बैंकों की पहली तीन वर्षीय वित्तीय समावेशन योजना समाप्त हो गयी है। यद्यपि बैंकिंग सेवाओं के व्यापन और मूलभूत बैंक खाते खोले जाने में उचित प्रगति हुई, फिर भी आइसीटी आधारित बीसी आउटलेटों के माध्यम सेकिये गये लेन देनों की संख्या अभी भी कम है। वंचित लोगों को बैंकिंग सेवाओं तक पहुँच सुनिश्चित करने की प्रक्रिया को जारी रखने के लिए बैंकों को वर्ष 2013-16 की तीन वर्षीय अवधि के लिए एफआइपी तैयार करनी है। अब बैंकों को सूचित किया गया है कि उनकी एफआइपी शाखा-स्तर तक ले जायी जाये। योजना का बिखराव यह सुनिश्चित करने के लिए किया जा रहा है कि वित्तीय समावेशन योजना में सभी पणधारियों को शामिल किया जा सके।

प्रत्यक्ष लाभ अंतरण

11. रिज़र्व बैंक ने प्रत्यक्ष लाभ अंतरण योजना (डीबीटी) को प्रारंभ करने में सक्रिय भूमिका निभायी है। राज्य स्तरीय बैंकर समिति (एसएलबीसी) के संयोजक बैंकों को सूचित किया गया है कि वे आधार-समर्थित भुगतानों के कार्यान्वयन के लिए सरकार के

अधिकारियों से समन्वय रखें। बैंकों को शिविर लगा कर बैंक खाते खोलने और उन्हें आधार संख्या से जोड़ने की प्रक्रिया में तेजी लानी है। एसएलबीसी की बैठकों में चर्चा के लिए कार्यसूची में वित्तीय समावेशन/इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण (इबीटी) कार्यान्वयन के भाग के रूप में आधार समर्थित भुगतानों की स्थिति एक नियमित मद होती है। प्रथम चरण में डीबीटी 1 जनवरी 2013 से 43 जिलों में आरंभ की गयी और 1 जुलाई 2013 से इसे 78 जिलों में विस्तारित किया गया। अंततः देश के सभी जिले इसमें शामिल किये जायेंगे।

12. **उच्च स्तरीय वित्तीय समावेशन सलाहकार समिति,** जो सर्वव्यापी वित्तीय समावेशन की ओर अग्रसर हो रही है, एक राष्ट्रीय प्रतिबद्धता और रिज़र्व बैंक के लिए नीतिगत प्राथमिकता रही है। वृहत्तर वित्तीय समावेशन के प्रयासों की अगुआई करने के लिए रिज़र्व बैंक ने एक उप गवर्नर की अध्यक्षता में एक वित्तीय समावेशन सलाहकार समिति (एफआइएसी) का गठन किया है। एफआइएसी में रिज़र्व बैंक के केंद्रीय निदेशक मंडल के कुछ निदेशक, एनजीओ से लिये गये विशेषज्ञ और सिविल सोसाइटी के प्रतिनिधियों को सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। सदस्यों की विशेषज्ञता और अनुभव का उपयोग व्यवहार्य और धारणीय बैंकिंग सेवा सुपुर्दगी मॉडलों को विकसित करने मे, जो पहुँचयोग्य और यथेष्ट वित्तीय सेवा प्रदान करते हैं; ग्रामीण और शहरी उपभोक्ताओं के लिए, जो इस समय बैंकिंग नेटवर्क से बाहर हैं, उत्पादों और प्रक्रियाओं को विकसित करने, में किया जायेगा, जो यह सुनिश्चित करेगा कि वित्तीय समावेशन और वित्तीय स्थिरता साथ-साथ चलें।

वित्तीय साक्षरता

13. वित्तीय साक्षरता के माध्यम से क्षमता-निर्माण वित्तीय समावेशन का एक प्रमुख घटक होता है। इसका अर्थ होता है वित्तीय शिक्षा प्रदान करना, ताकि व्यक्तियों द्वारा कालक्रमानुसार अपनी आस्तियों का निर्माण और उन्हें बनाये रखने के लिए युक्तियुक्त वित्तीय उत्पादों और सेवाओं की पहचान और उनका उपयोग करने की क्षमता प्राप्त हो सके। इसे लोगों को बेहतर जाानकार, बेहतर शिक्षित और अधिक विश्वासपूर्ण बनाना चाहिए, उन्हें अपने वित्तीय कार्यों में अधिक उत्तरदायित्व ग्रहण करने में सक्षम बनाना चाहिए और वित्तीय सेवाओं के लिए बाजार में अधिक सक्रिय भूमिका निभाने में समर्थ बनाना चाहिए।

14. मार्च 2013 के अंत तक 718 एफएलसी स्थापित किये गये। कुल 2.2 मिलियन लोगों को अंतरंग शिक्षा के माध्यम से और बहिरंग कार्यकलापों, यथा, जागरूकता शिविर/चौपाल, गोष्ठियों, सेमीनारों और व्याख्यानों के माध्यम से अप्रैल 2012 से मार्च 2013 तक एक वर्ष की अवधि में शिक्षित किया गया। इसने सभी एफएलसी और अनुसूचित वाणिज्येक बैंकों की ग्रामीण शाखाओं को सूचित किया है कि वे प्रत्येक महीने कम से कम एक बहिरंग वित्तीय साक्षरता शिविर लगायें।

वित्तीय शिक्षा के लिए राष्ट्रीय रणनीति (एनएसएफई)

15. वित्तीय स्थिरता विकास परिषद (एफएसडीसी) के एक तकनीकी दल के तत्वावधान में एनएसएफई तैयार की गयी है। एनएसएफई का कार्यान्वयन पाँच वर्ष के समय-ढाँचे में किया जायेगा और इसका लक्ष्य होगा आरंभ में 500 मिलियन लोगों से संपर्क कर उन्हें प्रमुख बचत, संरक्षण और निवेश-संबद्ध उत्पादों के संबंध में शिक्षित करना, ताकि वे विवेकपूर्ण वित्तीय निर्णय लेने में सक्षम बन सकें। इसमें उपभोक्ता संरक्षण और देश में उपलब्ध शिकायत निवारण तंत्र के बारे में जागरूकता लाने की भी अपेक्षा की गयी है। एनएसएफई के अंतर्गत एक राष्ट्रीय वित्तीय शिक्षा केंद्र (एनसीएफई) के गठन का प्रस्ताव है, जो सभी वित्तीय क्षेत्र विनियामकों के प्रयासों में समन्वय स्थापित करेगा। एनएसएफई देश के लिए वित्तीय शिक्षा पर एक सामान्य वेबसाइट भी आरंभ करेगा।

कुछ मुद्दों की निशानदेही :

16. ''मेजरिंग फाइनैंशियल इन्क्लूजन इंडीकेटर्स'' के संबंध में कराया गया विश्व बैंक (2012) फाइंडेक्स सर्वे, विश्व बैंक पॉलिसी रिसर्च वर्किंग पेपर सं.6025, बताता है कि भारत में केवल 35 प्रतिशत वयस्क व्यक्तियों को औपचारिक बैंक खाते तक पहुँच प्राप्त होती है, केवल 2 प्रतिशत वयस्क व्यक्ति अपने रिश्तेदारों से धन-प्रेषण प्राप्त करने के लिए औपचारिक खाते का उपयोग करते हैं और 4 प्रतिशत व्यक्ति सरकारी भुगतान प्राप्त करने के लिए खाते का उपयोग करते हैं। ये आँकड़े वर्ष 2011 के हैं और इसके बाद और भी काम हुआ है, लेकिन चुनौतियाँ अभी भी मौजूद हैं।

17. वित्तीय समावेशन योजना-आरआरबी सहित सभी बैंकों की प्रगति का सारांश

क्र.सं.	विवरण	मार्च 10 में समाप्त वर्ष	मार्च 11 में समाप्त वर्ष	मार्च 12 में समाप्त वर्ष	मार्च 13 में समाप्त वर्ष
1	गाँवों में बैंकिंग आउटलेटों की सं. - शाखाएँ	33,378	34,811	37,471	40,837
2	गाँवों में बैंकिंग आउटलेटों की सं. - बीसी	34,174	80,802	141,136	221,341
3	गाँवों में बैंकिंग आउटलेटों की सं. - अन्य मोड	142	595	3,146	6,276
4	**गाँवों में बैंकिंग आउटलेटों की सं. - कुल**	**67,694**	**116,208**	**181,753**	**268,454**

क्र.सं.	विवरण	मार्च 10 में समाप्त वर्ष	मार्च 11 में समाप्त वर्ष	मार्च 12 में समाप्त वर्ष	मार्च 13 में समाप्त वर्ष
5	बीसी के माध्यम से शामिल किये गये शहरी इलाके	447	3,771	5,891	27,143
6	मूलभूत बचत बैंक जमा खाते शाखाएँ (सं. मिलियन में)	60.19	73.13	81.20	100.80
7	मूलभूत बचत बैंक जमा खाते-शाखाएँ (राशि बिलियन में)	44.33	57.89	109.87	164.69
8	मूलभूत बचत बैंक जमा खाते-बीसी (सं. मिलियन में)	13.27	31.63	57.30	81.27
9	मूलभूत बचत बैंक जमा खाते-बीसी (राशि बिलियन में)	10.69	18.23	10.54	18.22
10	बीएसबीडीए में उपभोग की गयी ओडी सुविधा (सं. मिलियन में)	0.18	0.61	2.71	3.95
11	बीएसबीडीए में उपभोग की गयी ओडी सुविधा (राशि बिलियन में)	0.10	0.26	1.08	1.55
12	केसीसी-(सं. मिलियन में)	24.31	27.11	30.24	33.79
13	केसीसी- (राशि बिलियन में)	1,240.07	1,600.05	2,068.39	2,622.98
14	जीसीसी - (सं. मिलियन में)	1.39	1.70	2.11	3.63
15	जीसीसी - (राशि बिलियन में)	35.11	35.07	41.84	76.34
16	आइसीटी खाते-बीसी-लेन देन (सं. मिलियन में)	26.52	84.16	155.87	250.46
17	आइसीटी खाते-बीसी-लेन देन (राशि बिलियन में)	6.92	58.00	97.09	233.88

18. अनेक प्रश्नों में से एक प्रश्न यह है कि मुख्य धारा वाली वित्तीय संस्थाओं का यह विनिर्देश क्यों, क्यों एक बैंक-नीत मॉडल चाहिए? अन्य बातों के साथ-साथ, तीन कारणों से। पहला यह

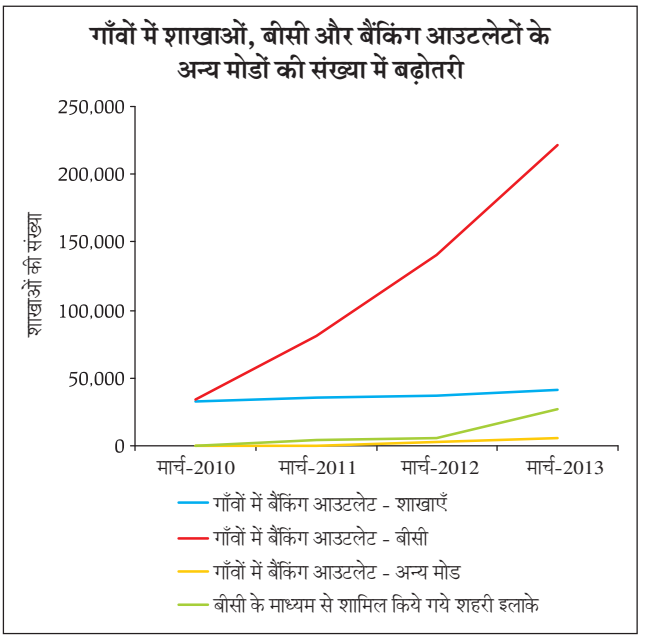

कि बैंक जमाराशियाँ निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम से गारंटित होती हैं और जमाकर्ताओं का धन सुरक्षित रहता है। दूसरा, बैंक विनियमित और भली-भाँति पूँजीकृत संस्थाएँ होते हैं, जो आरबीआई के सीधे नियंत्रण के अधीन होते हैं और इस नियंत्रण का प्रयोग प्रत्यक्ष एवं परोक्ष निरीक्षण और पर्यवेक्षण द्वारा किया जाता है। विनियमन का लक्ष्य होता है जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा करना, बैंकिंग परिचालनों का व्यवस्थित विकास और संचालन तथा बैंकिंग प्रणाली की समग्र सुदृढ़ता का पोषण करना। तीसरा, हमारे पास अनेक अन्य देशों के विपरीत एक तगड़ी व्यापक बैंकिंग प्रणाली है। इन देशों के लिए, जहाँ बैंकिंग

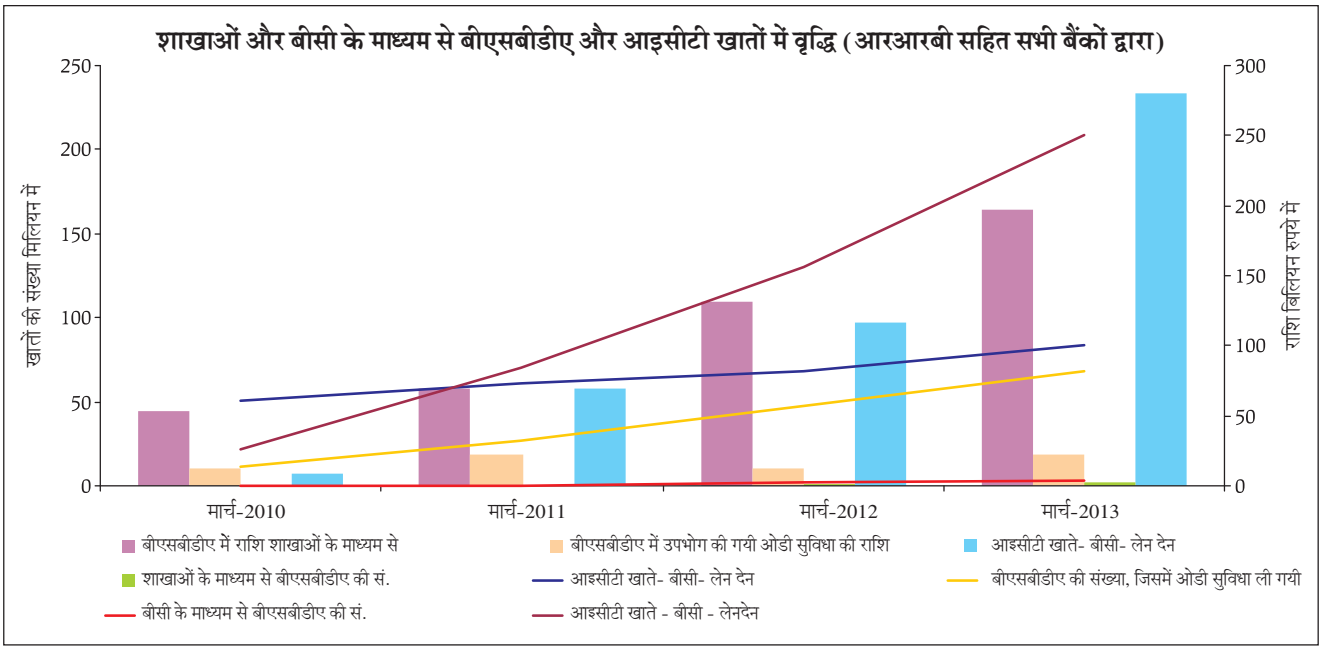

का परंपरागत नेटवर्क मौजूद नहीं होता है, वहाँ एक ही रास्ता बचता है कि वे प्रौद्योगिकी पर निर्भर करें। पूरे अफ्रीका में डिजिटल गेटवे बनाना आसान है, जबकि हमारे लिए, बैंकिंग प्रणाली का उपयोग करना आसान है, क्योंकि हमारे पास, वाणिज्यिक बैंकों के माध्यम से, जिसमें शाखाओं का विशाल नेटवर्क है, व्यापक पहुँच विस्तार करना आसान है और हमने वित्तीय समावेशन के लिए बहुआयामी दृष्टिकोण अपनाया है और इससे हमें वास्तविक लाभ प्राप्त हुआ है।

19. तीसरा, बीसी मॉडल का निकट पर्यवेक्षण क्यों और ऐसा क्यों कि बीसी को एक सीमित क्षेत्र में परिचालन करना होगा। पहला, क्योंकि बीसी के लिए परिचालनीय रूप से संभव होगा कि वह एक परिभाषित घेरे में गहन सेवाएँ प्रदान कर सके और दूसरा, क्योंकि नकदी का प्रबंध करना प्रमुख मुद्दा होता है। बीसी द्वारा एकत्र की गयी नकदी अंततः बैंक की नकदी होती है और बैंक की विश्वसनीयता दाँव पर लगी होती है। तीसरा, ग्राहक बीसी का ग्राहक नहीं होता, वह बैंक का ग्राहक होता है। बीसी की परिकल्पना अंतरणकर्ता एजेंट के रूप में की गयी है, जो बैंक की पहुँच-व्याप्ति को आइसीटी मॉडल के माध्यम से समर्थ बनाता है और हाथ में रखे जा सकने वाले प्रौद्योगिकी उपकरण का उपयोग करके बैंकिंग सेवाओं और अन्य सेवाओं, यथा, इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण, को उधारकर्ता के घर तक पहुँचाने में समर्थ बनाता है।

शाखा और शाखाविहीन बैंकिंग को संयुक्त करना

20. डीबीटी के कार्यान्वयन के लिए पूर्व-अपेक्षा यह होती है कि प्रत्येक पात्र व्यक्ति के पास एर बैंक खाता हो। पुनः, आइसीटी आधारित बीसी मॉडल के माध्यम से घर तक राशि का वितरण करने के लिए बैंकिंग आउटलेट, या तो परंपरागत शाखाओं या शाखा विहीन मोड के माध्यम से, देश भर में सभी गाँवों में होने की अपेक्षा की जाती है। इसकी सफलता के लिए यह महत्वपूर्ण है कि उत्कृष्ट सेवाएँ नये आइसीटी आधारित बीसी आउटलेटों के माध्यम से प्रदान की जाती हैं। अतः, आधार शाखाओं और बीसी अवस्थिति के बीच एक मध्यवर्ती न्यून लागत वाली परंपरागत संरचना होनी चाहिए। यह बीसी आउटलेटों को समय पर मदद करेगी, बीसी परिचालनों का निकट पर्यवेक्षण सुनिश्चित करेगी और उन्हें विश्वसनीयता प्रदान करेगी और बीसी सेवाओं में लोगों का भरोसा बढ़ायेगी। अतः, बैंकों को सूचित किया गया है कि वे उन शाखाओं के अनुपात में बढ़ोतरी करने की योजना बनायें, जो बैंक रहित क्षेत्रों को शामिल करती हैं। बैंकों को यह भी सूचित किया गया है कि वे वित्तीय समावेशन केंद्रों की स्थापना किये जाने पर विचार करें, जो ऐसे केंद्र के रूप में कार्य करेंगे, जो केवल बीसी के माध्यम से ग्राहकों की सेवा किये जाने पर ध्यान देते हैं।

21. ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक बैंक शाखाएँ खोले जाने के लिए रिज़र्व बैंक ने बैंकों को अधिदेश दिया है कि वे कम से कम 25 प्रतिशत शाखाएँ बैंक रहित ग्रामीण केंद्रों में खोलें। इस अधिदेश का लक्ष्य प्राप्त करना सुविधाजनक बने, इसके लिए बैंकों को सूचित किया गया है कि वे आधार शाखा और बैंक रहित गाँवों के बीच लघु मध्यवर्ती परंपरागत बैंक संरचना स्थापित करें। इसके पीछे विचार यह है कि सेवाओं की कुशल सुपुर्दगी, नकदी प्रबंधन में दक्षता, ग्राहक शिकायतों का निवारण और बीसी परिचालनों पर निकट पर्यवेक्षण रखने के लिए एक पारिस्थितिकी प्रणाली स्थापित की जाये। इस अधिदेश का पालन करने के लिए बैंकों को और अधिक प्रोत्साहित करने की दृष्टि से बैंकों को सूचित किया गया है कि वे तीन वर्ष की अवधि के चक्र में, जो उनके एफआइपी के साथ चले, बैंक रहित ग्रामीण क्षेत्रों में शाखाएँ खोलने को प्राथमिकता प्रदान करने पर विचार करें। इससे बैंक रहित ग्रामीण केंद्रों में तेज गति से शाखा-विस्तार करना सुविधाजनक बनने की उम्मीद है।

22. शाखा विस्तार के माध्यम से परंपरागत बैंक शाखाएं बढ़ाने के साथ, आरबीआई ने बैंकों को इस बात के लिए भी प्रोत्साहित किया है कि वे अन्य शाखा रहित मोडों, यथा, बीसी आउटलेट, अन्य मोडों, यथा, कियोस्क, शाखेतर ग्रामीण एटीएम, मोबाइल वाहन, आदि, को अपनायें, ताकि अंतिम चरण के संयोजकता मुद्दों का समाधान किया जा सके।

बीसी जगत का विस्तार करना

23. हमने बीसी जगत का विस्तार किया है, जैसे-जैसे हम आगे बढ़ते गये हैं, और हमने वर्ष 2010 में लाभ सहित कंपनियों के प्रवेश को समर्थ बनाया है। हमने ऐसा इसलिए किया, क्योंकि हम वित्तीय समावेशन को ग्रामीण क्षेत्र में उन लोगों तक पहुँचाने के लिए, जिन तक इसकी पहुँच नहीं हुई है, उनके सुस्थापित नेटवर्क से लाभ उठाना चाहते हैं।

प्रौद्योगिकी प्लैटफार्मों का उपयोग करना

24. सफल वित्तीय समावेशन को सफल बनाने के लिए, गरीबों की विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुसार उत्पादों में नवोन्मेष करना आवश्यक ही नहीं, बल्कि अनिवार्य शर्त भी होती है। आज बैंक अनेक प्रकार की वित्तीय सेवाएँ एजेंटों और शाखाओं के विविध नेटवर्कों के माध्यम से, प्रौद्योगिकी प्लैटफार्मों में सही ताल मेल बिठाते हुए , प्रदान कर सकते हैं। बड़े परिमाण में छोटे मूल्य के लेन देनों की कुशल सुपुर्दगी करने के लिए मॉडलों की व्यवस्था करने की चाबी प्रौद्येगिकी के पास होती है। इस प्रकार की कारगर, आरोह्य और प्लैटफार्म स्वतंत्र प्रौद्योगिकी गरीबों को कम लागत में बैंकिंग सेवाएँ प्रदान करने में मदद करेगी।

25. अविलंब भुगतान सेवा (आइएमपीएस), जो तात्कालिक 24x7 वाली इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण प्रणाली है, को भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआइ) द्वारा विकसित किया गया है। आइएमपीएस ग्राहकों को यह सुविधा प्रदान करती है कि वे मोबाइल उपकरणों का प्रयोग अपने बैंक खातों तक पहुँच प्राप्त करने के लिए सरणी के रूप में कर सकते हैं और सुरक्षित ढंग से उच्च अंतर-बैंक निधि अंतरण कर सकते हैं, जिसमें अंतरण की अविलंब पुष्टि किये जाने की विशेषता होती है।

आधार समर्थित भुगतान प्रणाली (एइपीएस)

26. भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (युआइडीएआइ) द्वारा एनपीसीआइ के सहयोग से डिजाइन की गयी एइपीएस संरचना एक ऐसा प्लैटफार्म है, जिस पर बैंक अपने वित्तीय समावेशन उपक्रमणों का विस्तार करने के लिए निर्भर रह सकते हैं। एइपीएस का बुनियादी आधार-वाक्य है कि एक बीसी ग्राहक सेवा केंद्र (सीएसपी) में ऐसी सामर्थ्य होगी कि वह आधार डाटाबेस में संचित विशिष्ट बायोमेट्रिक पहचान के आधार पर अनेक बैंकों के ग्राहकों को सेवा प्रदान कर सकेगा। यह उम्मीद है कि एइपीएस प्लैटफार्म बैंक के ग्राहक को अपनी पहचान के लिए आधार का उपयोग कर अपने आधार समर्थित बैंक खाते तक पहुँच प्राप्त करा सकेगा और बुनियादी बैंकिंग लेन देन, यथा, खाते में शेष राशि की जानकारी, नकदी आहरण और बीसी के माध्यम से जमा, कर सकेगा।

निष्कर्ष

27. आरबीआई ने बैंक-नीत मॉडल को अपनाया है, लेकिन वह ऐसा है, जिसे मॉडल-तटस्थ कहा जा सकता है। हमने एक समर्थक वातावरण का सृजन करने का प्रयास किया है, जो प्रतिस्पर्धा को सुविधाजनक बनाता है और नवोन्मेष का पोषण करता है।

28. एक बार वित्तीय समावेशन योजना कार्यान्वित हो जाने पर ग्राहक एक दूसरे के साथ और गाँव के बाहर के व्यक्तियों और फर्मों के साथ इलेक्ट्रॉनिक रूप से लेन देन करने में समर्थ हो सकेंगे। इससे आने वाले दिनों में नकदी पर निर्भरता घटेगी और उच्च परिमाण होने पर लागत कम होगी।

29. अंतरराष्ट्रीय अनुभव बताता है कि सामाजिक अंतरणों को डिजिटाइज करना वंचित लोगों को वित्तीय प्रणाली में शामिल करने का कारगर तरीका होता है, जो इस खंड में बैंकों के लिए व्यावसायिक मामला बनता है, जो इस समय सरकारी भुगतानों पर निर्भर करते हैं। आगे बढ़ते हुए, हम आशा करते हैं कि बैंक ऐसे नये उत्पाद और सेवाओं की शुरुआत करेंगे, जिन्हें गरीब उधारकर्ताओं की आवश्यकता के अनुसार बनाया गया होगा, जो वित्तीय समावेशन को स्वयं धारणीय बनने में समर्थ करेगा।

30. चूँकि बैंकिंग लोकोपयोगी होती है, अतः यह सार्वजनिक नीति के हित में अनिवार्य होती है।